

26.04.2024

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत।  
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों की तलबी हेतु  
सम्बन्ध/नोटिस जारी कर तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी  
दिनांक 23.05..2024 को पेश हो।

23/5/24

पत्रा. पेडादुई/पार्थ व वकील पार्थ उपा  
नहीं। पार्थ का बाबा आसम हाजरी  
आसम परवी में खारिज किया जा चुका  
है। बाबा: पार्थ को उ प्रार्थना-पत्र का  
कोई औचित्य नहीं रहे जाना ही जान।  
पार्थ का प्रार्थना-पत्र इसी तरह पर  
खारिज किया जाना है।  
पत्रा. प्रमल गुमा/होम  
दाखिल करवा हो

